

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:-एस्टे/डीईएस/संगणक/अग्रिम अध्ययन/2385

दिनांक:-09/05/2018

कार्यालय आदेश


विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित संगणकों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित विवरण के अनुसार प्रदान की जाती है -

क्र. स.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है	विभाग/कार्यालय का नाम
1.	अनूप कुमारी दूडिया	Planning Officer (UPSC), सहायक सांख्यिकी अधिकारी, राज. राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सहायक वनरक्षक एवं वन रेन्ज ऑफिसर ग्रेड-1	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर
2.	रीना मीणा	नेट, एम.कॉम (उत्तराद्ध) जूनियर अकाउंट ऑफिसर (बीएसएनएल)	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि., डूंगरपुर
3.	टिकल	एम.ए. फाइनल (इकोनोमिक्स)	अति. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. (प.क.) सीकर
4.	पूजा चौधरी	जूनियर अकाउंट ऑफिसर (बीएसएनएल), Administrative Officer (Scale-1) A.I.Company of India, Administrative Officer (Scale-1) O.I.Company, CS	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर
5.	ममता बिश्नोई	एम.एस.सी. फाइनल	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बीकानेर
6.	कवलजीत कौर	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, नेट	ब्लॉक मुख्य चिकि. अधि. हनुमानगढ़, हनुमानगढ़
7.	आपीका तस्कीन	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, राज. राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	जिला परिषद, कोटा
8.	दिव्या गुर्जर	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, रीट, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय शिक्षक भर्ती 2017	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, केकडी, अजमेर
9.	विनिता दायमा	आरएएस, सहायक सांख्यिकी अधिकारी	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर
10.	हेमलता	आर्थिक अन्वेषक, उद्योग प्रसार अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, व्याख्याता, लाईब्रेरीयन, तृतीय श्रेणी अध्यापक, एसीएफ, फारेस्ट रेन्ज ऑफिसर	ब्लॉक मुख्य चिकि. अधि. श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर
11.	पूजा गुप्ता	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	उप मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. (प. क.) अलवर
12.	सीमा देवी कुमावत	एम.एस.सी. (गणित) फाइनल	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
13.	ज्योति वर्मा	नेट, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, आरएएस	हरिश्चन्द्र माथुर राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
14.	उषा सांखला	एम.ए. फाइनल- अर्थशास्त्र	ब्लॉक मुख्य चिकि. अधि. आमेर, जयपुर
15.	रीना जाटोलिया	नेट- अर्थशास्त्र	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर
16.	संजू कुमारी	आरएएस, स्कूल लेक्चरर, अध्यापक ग्रेड द्वितीय	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, कोटपूतली, जयपुर
17.	मोहित खण्डेलवाल	सहायक (भारतीय रिजर्व बैंक), नेट, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, संयुक्त स्नातक परीक्षा, राजस्थान अधीनस्थ सेवा	मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. अलवर
18.	लोकेश स्वर्णकार	एम.कॉम प्रीवियस	ब्लॉक मुख्य चिकि. अधि. सांगानेर, जयपुर
19.	शिवओम गुप्ता	रीट, एम.ए. फाइनल अर्थशास्त्र	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर
20.	मीनाक्षी बिलोनिया	उद्योग प्रसार अधिकारी, आर्थिक अन्वेषक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी	आयोजना परिवीक्षण विभाग, सचिवालय, जयपुर

21.	सुमन पाटोदिया	आरएएस, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, रायसिंहनगर, <b>श्रीगंगानगर</b>
22.	पंकज अरोडा	राज. राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, रावतसर, हनुमानगढ़
23.	ममता मीणा	एम.कॉम (व्यवसायिक प्रशासन) फाईनल	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर
24.	सुनिता मिमरोट	स्कूल व्याख्याता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

**नोट – अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार है –**

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी, उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृति नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिए जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राज्य के कार्य सम्पादन में किसी कार्य की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग की किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश देय होगा।
9. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

  
(कुलदीप भटनागर)  
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. सम्बन्धित विभाग .....
3. सम्बन्धित कर्मचारी श्री .....
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)